फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री केशुराम | **विपक्षी :– श्री किशनलाल**

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. | **पत्रावली संख्या : 79/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 29.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री उदयलाल डांगी द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश कर सबसे पुराने चिन्ह को ध्यान में रखते हुए पत्थरगढी किये जाने पर सहमति व्यक्त की। शेष विपक्षीगण अनुपस्थित रहे हैं। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। विपक्षी सं. 2 द्वारा उपस्थित होकर सबसे पुराने चिन्ह को ध्यान में रखते हुए पत्थरगढी किये जाने पर सहमति व्यक्त की। शेष विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली की आराजी नम्बर 480, 481, 5674/462 किता 3 रकबा 0.8417 हेक्टेयर भूमि के चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी के दौरान नपती में सबसे पुराने चिन्ह का ध्यान रखते उसी आधार पर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान एवं पडोसी खातेदार की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.03 15:22:50 IST
Reason: SelfAttested